हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 फरवरी, 2014

संख्या लैज० 27/2013.—दि हरियाणा कॅनैल ऐन्ड ड्रैनइज (अॅमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2013, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 21 फरवरी, 2014, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4 के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2013 का हरियाणा अधिनियम संख्या 24

हरियाणा नहर तथा जल-निकास (संशोधन) अधिनियम, 2013

हरियाणा नहर तथा जल-निकास अधिनियम, 1974,
को आगे संशोधित
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम हरियाणा नहर तथा जल-निकास (संशोधन) अधिनियम, 2013, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा नहर तथा जल-निकास अधिनियम, 1974 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 में,— 1974 के हरियाणा अधिनियम 29 की धारा 2 का संशोधन।

(i) खण्ड (9) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(9क) 'मल-जल' से अभिप्राय है, किसी मलवहन प्रणाली से बहि:स्राव तथा इसमें खुले जल-निकास से मैला पानी भी शामिल है;"; तथा

(ii) खण्ड (12) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(12क) 'व्यवसायिक बहि:स्राव' में शामिल है, कोई द्रव, गैसीय अथवा ठोस पदार्थ, जो घरेलू मल-जल से अन्यथा किसी औद्योगिक संचालन अथवा प्रक्रिया अथवा संसाधित तथा निपटान प्रणाली कार्यान्वित करने हेतु प्रयुक्त किन्हीं परिसरों से छोड़ा जाता है;"।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 के खण्ड (ख) में, "कच्ची" शब्द का लोप कर दिया जाएगा। 1974 के हरियाणा अधिनियम 29 की धारा 5 का संशोधन।

1974 के हरियाणा अधिनियम 29 की धारा 58 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 58 में,—

(i) खण्ड (ञ) के बाद, विद्यमान "." चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) खण्ड (ञ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ट) किसी नहर में कोई मल-जल अथवा व्यवसायिक बहिःस्राव छोड़ता है:";

(iii) खण्ड (ट) के बाद, विद्यमान पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"तो उपर्युक्त खण्ड (क), (ख), (ग), (छ) तथा (ट) के अधीन अपराधों के बारे में, दोषसिद्धी पर, पांच हजार रुपए से अनधिक जुर्माने अथवा छह मास से अनधिक कारावास अथवा दोनों और निरन्तर अपराध/उल्लंघना की दशा में अतिरिक्त जुर्माने जो प्रत्येक पश्चात्वर्ती दिन के लिए पांच सौ रुपए तक हो सकता है, से दायी होगा। अन्य अपराधों के बारे में, अपराधी दोषसिद्धि पर, एक हजार रुपए से अनधिक जुर्माने अथवा एक मास से अनधिक कारावास, अथवा दोनों से दायी होगा।"।

राज राहुल गर्ग,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।